**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर**
**पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या 02/13

1. गोपीराम पुत्र जालुराम जाति जाट निवासी चक 71 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—प्रतिवादी

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधिनियम**

उपस्थितिः—

1. श्री सोहन लाल जोशी वकील वादी
2. राजपैरोकार

**निर्णय** दिनांकः— 18/11/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 74 एनपी के मु.नं. 34 पं.नं. 267/332 में मुझ वादी की 2.252 है0 भूमि खातेदारी दर्ज है। चक 74 एनपी की भूमि एनपी माईनर से सिंचित होती थी। सिंचाई के लिए वादी के मु.नं. 34 पं.नं. 267/332 के कि.नं. 12, 13/2, 14, 15 व 19 में से खाला जाता था। जिसमें .126 है0 रकबा आता था। अब यह चक पीटीडी माईनर से सिंचित होने लग गया है। उपरोक्त रकवा 14 पीटीडी में आ गया है। इस रकबा को सिंचाई के लिए मु.नं. 267/333 के कि.नं. 1 ता 5 में से खाला लगता है। किनं. 25 में नक्का है। मु.नं. 34 में कोई खाला किसी प्रकार नही है। जमाबन्दी पुराने हिसाब से बनाई जा रही है। आईजीएनपी में आने के कारण कोई तबदीली नही की गई है। मु.नं. 34 के खाला के रकबा को प्रार्थी काश्त कर रहा है। जो काबिल काश्त है। जमाबन्दी सम्वत् 2067—70 में मु.नं. 34 के कि.नं. 12, 13/2, 14, 15, 19 में से खाला शब्द को हटाये जाने से यह किलेजात पुरे नहरी दर्ज किये जाने से सरकार को व किसी कृषक कोई आपत्ति नही है। अतः चक 74 एनपी (पुराना) नया चक 14 पीटीडी के मु.नं. 34 के कि.नं. 12, 13/2, 14, 15, 19 में से खाला शब्द को हटाया जाकर सालम किलेजात काबिल काश्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी के नाम से प्रसारित किये जावे। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2067—70 दुरूस्त की जाकर नई जमाबन्दी बनाई जावे।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। राज्य पक्ष की ओर से राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। निम्न तनकियात कायम की गईः—

1. आयाकि चक 74 एनपी (पुराना) नया चक 14 पीटीडी के मु.नं. 34 पं.नं. 267/332 के कि.नं. 12, 13/2, 14, 15, 17 में से खाला शब्द को हटाया जाकर सालम किलेजात काबिल काश्त दर्ज किये जाने का अधिकार है ?

—प्रार्थीया

2. आयाकि इसी प्रकार जमान्दी सम्वत् 2067—70 में दुरूस्ती की जाकर रिकार्ड में खाला शब्द हटाकर दुरूस्त कराकर अमल दरामद कराने का अधिकारी है ?

—प्रार्थी

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

3. आयाकि प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी में दुरूस्ती में लिपकीय भूल नही होने के कारण दुरूस्त किये जाना का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है ?

—राजपैरोकार

4. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में शपथ पत्र गोपीराम प्रस्तुत किया गया एवं प्रदर्श–1 जमाबन्दी चक 74 एनपी सम्वत 2067–70 करवाई गई व प्रदर्श–2 चक प्लान 14 पीटीडी करवाया गया। प्रदर्श–3 आंशिक नजरी नक्शा पटवारी द्वारा जारी चक 74 एनपी करवाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा सिंचाई विभाग को आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया। इसलिए तनकीवार निर्णय नही किया गया। खाला को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार सिंचाई विभाग को है। जो कि आवश्यक पक्षकार थे। अतः वादी द्वारा सिंचाई विभाग को आवश्यक पक्षकार नही बनाये जाने के कारण वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

**निर्णय आज दिनांक 18/11/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.11 16:53:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: